भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या †*251

उत्तर देने की तारीख 20.03.2017

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

†*251. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर:

श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने/की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश के जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और स्थिति क्या है और इस योजना के लाभान्वितों की संख्या कितनी है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अधीन कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20.03.2017 कोश्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *251 (11वीं स्थिति) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : इस मंत्रालय के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) के लिए योजना के दिशानिर्देश **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) : जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की योजना मांग आधारित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए आवर्ती अनुदान प्रदान करता है। इसके अलावा, कौशल विकास के लिए भीयह मंत्रालय अनुच्छेद 275(1) तथा जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करता है।

कौशल के लिए उपर्युक्त पहलों के अलावा कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) स्कीम के तहत 163 जनजातीय बहुल जिलों सहित सभी जिलों में एक बहु-कौशल संस्थान स्थापित कर रहा है।

(घ) : गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय की वीटीसी योजना के तहत राज्य सरकारों और एनजीओ को प्रदान की गई राज्य-वार निधियां **अनुलग्नक-2** में दी गई है।

गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुच्छेद 275(1) अनुदानों के तहत कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियां **अनुलग्नक-3** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक1

"व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र "के संबंध में दिनांक 20.03.2017 को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *251 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-1

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) के लिए योजना की मुख्य विशेषताएं

- योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को कवर करती है। जनजातीय युवाओं को नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों तथा योजना कार्यान्वित करने वाले अन्य संगठनों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

- यह योजना सरकार द्वारा स्थापितस्वायत्त निकायों, शैक्षिक तथा अन्य संस्थानों जैसे स्थानीय निकाय और सहकारी सोसायटियों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि के रुप में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों अथवा संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

- यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ पीटीजी के लाभ के लिए है तथा यह देश में कहीं भी शुरु की जा सकती है परन्तु प्राथमिकता विशेष रुप से कमजोर जनजातियों द्वारा आबाद सुदूर जनजातीय क्षेत्रों और उग्रवाद गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाएगी।

- प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता 100 अथवा अधिक प्रशिक्षणार्थी है अर्थात एक ट्रेड के लिए कम-से-कम 20 अभ्यर्थी होने चाहिए। जहां तक संभव हो, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाएंगी।

- प्रत्येक केन्द्र क्षेत्र की रोजगार क्षमता के आधार पर परंपरागत अथवा अन्य कौशलों में 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबंध कर सकता है।

- प्रत्येक जनजातीय लड़के/लड़की को उसकी पसंद के एक ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है तथा पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 6 माह होती है।

- प्रायोगिक अनुभव द्वारा अपने कौशल को सीखने के लिए 6 माह के अंत में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को उपनगरीय क्षेत्र में 6 माह की अवधि के लिए मास्टर शिल्पकार के साथ संबद्ध किया जाता है।

- 5 ट्रेड चलाने के लिए इस योजना के तहत स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 100 अथवा अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात एक ट्रेड के लिए कम-से-कम 20 अभ्यर्थी होने चाहिए।

अनुलग्नक 2

"व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र"के संबंध में दिनांक 20.03.2017 को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *251 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-2

मंत्रालय की व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना के तहत राज्य सरकारों को प्रदान की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16
1.	असम	276.21	485.70	900.00
2.	गुजरात	0.00	0.00	605.76
3.	मध्य प्रदेश	150.74	0.00	0.00
4.	मिजोरम	69.68	0.00	0.00
	कुल	496.63	485.70	1505.76

मंत्रालय की व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना के तहत एनजीओ को प्रदान की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16
1.	असम	74.16	72.32	-
2.	मेघालय	48.96	30.44	-
3.	कर्नाटक	53.88	63.60	-
4.	तमिलनाडु	93.75	-	-
5.	नागालैंड	-	103.92	-
	कुल	270.00	270.00	-

अनुलग्नक 3

"व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र "के संबंध में दिनांक 20.03.2017 को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *251 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-3

गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुच्छेद 275(1) अनुदानों के तहत कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16
1.	आंध्र प्रदेश	289.45	487.82	300.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	100.00	230.00
3.	असम	436.00	1699.25	18,00.00
4.	बिहार	0.00	250.00	750.00
5.	छत्तीसगढ़	19,20.23	20,29.56	10,00.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	22,57.00	46,20.00	36,95.72
8.	हिमाचल प्रदेश	2,34.68	2,41.58	1,75.00
9.	झारखण्ड	0.00	34,92.96	12,40.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	500.00
11.	कर्नाटक	0.00	9,00.00	18,00.00
12.	केरल	54.52	5,30.00	5,50.00
13.	मध्य प्रदेश	5,00.00	80,57.55	33,00.00
14.	महाराष्ट्र	19,31.30	11,00.00	19,77.18
15.	मणिपुर	12.00	1,50.00	2,00.00
16.	मेघालय	0.00	5,00.00	0.00
17.	मिजोरम	0.00	53.36	1,00.00
18.	नागालैंड	0.00	3,55.00	3,00.00
19.	ओडिशा	11,00.50	45,84.47	31,94.59
20.	राजस्थान	5,00.00	16,50.00	26,75.00
21.	सिक्किम	44.00	60.00	2,15.00
22.	तमिलनाडु	66.40	0.00	0.00
23.	तेलंगाना	0.00	17,50.00	13,00.00
24.	त्रिपुरा	0.00	1038.50	290.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	536.92	290.00
26.	उत्तराखण्ड	1,39.59	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	18,62.00	31,10.00	20,63.58
कुल		**113,47.67**	**274,96.97**	**279,46.07**